

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।
पत्रांक 2411 / ओबरा / 15भू0ह0 दिनांक- 06-5- 2025.

सेवा में,

सी0ओ0ओ0, मे0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0,
यूनिट-डाला सीमेन्ट वर्क्स,
डाला-सोनभद्र।

विषय:- जनपद-सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में मे0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0, डाला सोनभद्र द्वारा कजरहट (डाला) लाईम स्टोन माइन्स के अन्तर्गत 294.082हे0 आरक्षित वनभूमि एवं भलुआ लाईम स्टोन माइन्स के अन्तर्गत 50.606हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 344.688 हे0 आरक्षित वनभूमि पर खनन कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत 10 वर्षों के लीज पर हस्तान्तरित किये जाने एवं बाधक 16534 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।
(प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/माईन/47074/2020)

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या-8-26/2021-एफ0सी0 दिनांक-14.11.2022, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय का पृष्ठांकन संख्या-1705/11-सी-एफ0पी0/यू0पी0/माईन/47074/2020 दिनांक-15.11.2022., भारत सरकार का पत्र दिनांक-27.11.2023, मे0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0, डाला का पत्र दिनांक-25.04.2025, इस कार्यालय के पत्रांक-1606/ ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक-31.01.2025 तथा उप प्रभागीय वनाधिकारी, चोपन के कार्यालय के पत्रांक-303/चोपन/15 दिनांक-05.05.2025.

महोदय,

अवगत कराना है कि आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयक प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या-8- 26/2021-एफ0सी0 दिनांक-14.11.2022 तथा पत्र दिनांक-27.11.2023 द्वारा लगायी गयी बिन्दुवार आपत्तियों के सम्बन्ध में आख्या/अभिलेख इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया। जिसका परीक्षण करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक-2330/ ओबरा/15 दिनांक-28.04.2025 द्वारा उप प्रभागीय वनाधिकारी, चोपन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। उप प्रभागीय वनाधिकारी, चोपन के कार्यालय के पत्रांक-303/चोपन/15 दिनांक-05.05.2025 (छायाप्रति संलग्न है।) द्वारा समिति की संयुक्त जांच आख्या/रिपोर्ट इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है:-

“प्रस्तावक विभाग द्वारा अपलोड किये गये आपत्ति के जबाब का परीक्षण करने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, महोदय के कार्यालय के पत्रांक-2330/ओबरा/15 दिनांक-28.04.2025 द्वारा समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या-8-26/2021-एफ0सी0 दिनांक-14.11.2022 तथा पत्र दिनांक-27.11.2023 द्वारा लगायी गयी आपत्ति के कम में प्रस्तावक विभाग के पत्र दिनांक-25.04.2025 द्वारा आपत्ति के जबाब के सम्बन्ध में अभिलेखों का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त प्रकाश में आयी कमियां निम्नानुसार है:-

1. भारत सरकार का पत्र दिनांक-14.11.2022 द्वारा लगायी गयी आपत्ति के बिन्दु संख्या 3 के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा कजरहट(डाला) लाईम स्टोन माईन्स की लीज अवधि वर्ष 1996 में, भलुआ लाईम स्टोन माईन्स की लीज अवधि वर्ष 2002 में समाप्त हो जाने के उपरान्त उक्त कार्यकाल में किये गये खनन कार्य/उल्लंघन से सम्बन्धित कोई अभिलेख संलग्न नहीं किया गया है।

A

2. भारत सरकार का पत्र दिनांक-14.11.2022 द्वारा लगायी गयी आपत्ति के बिन्दु संख्या 7 के कम में राजस्व विभाग, वन विभाग एवं प्रस्तावक विभाग के साथ किया गया संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार कजरहट(डाला) लाईम स्टोन माईन्स के अन्तर्गत 404.388हे० एवं भलुआ लाईम स्टोन माईन्स के अन्तर्गत 62.386हे० वन भूमि प्रभावित हो रहा है। जिसमें से कुल 92.620हे० क्षेत्र कजरहट(डाला) लाईम स्टोन माईन्स में कैमूर वन्य जीव प्रभाग के इको सेन्सिटिव जोन से आच्छादित है। उक्त सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग द्वारा कजरहट(डाला) लाईम स्टोन माईन्स में ग्राम कोटा व पड़रछ में प्रभावित होने वाले कुल 331.475हे० वन भूमि के सम्बन्ध में प्रस्ताव को संशोधित करने का अनुरोध किया गया है, परन्तु प्रस्तावक विभाग द्वारा संशोधित प्रस्ताव से सम्बन्धित वन भूमि एवं गैर वन भूमि का के०एम०एल०, जियोरिफरेन्सड मानचित्र व अन्य सुसंगत अभिलेख अपलोड/संलग्न नहीं किया गया है।
3. भारत सरकार का पत्र दिनांक-14.11.2022 द्वारा लगायी गयी आपत्ति के बिन्दु संख्या 6 के कम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित गैर वन भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-VIP 23/14-2-2019-190जी/2018 दिनांक-28.06.2019 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार प्रमाण पत्र तथा प्रश्नगत क्षेत्र का क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र से सम्बन्धित अभिलेख संलग्न नहीं किया गया है, परन्तु प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर के कार्यालय के पत्रांक-3366/मीरजापुर/33-1 दिनांक-08.04.2025 द्वारा, प्रस्तावित कुल 251.665हे० गैर वन भूमि में से 213.612हे० तथा प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के कार्यालय के पत्रांक-3441/कैमूर/33-1 दिनांक-09.04.2025 द्वारा प्रस्तावित 193.727 गैर वन भूमि में से 106.573हे० कुल 320.185हे० क्षेत्र VIP शासनादेश के अनुसार उपयुक्त पाये जाने का उल्लेख किया गया है, उक्त पत्र में मीरजापुर वन प्रभाग के अन्तर्गत 213.612हे० गैर वन भूमि में से 114.192हे० क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त तथा 07 हे० क्षेत्र क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त परन्तु अतिक्रमित होने का उल्लेख किया गया है, 07 हे० अतिक्रमित क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराकर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी से प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने की आवश्यकता है।
तथा प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के कार्यालय के पत्रांक-3772/33-1 दिनांक-29.04.2025 जो अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ को सम्बोधित एवं प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा महोदय को पृष्ठांकित है, के साथ शासनादेश पत्रांक-VIP-23/14-2-2019-190-जी/2018 दिनांक- 28.06.2019 के कम में 106.573हे० गैर वन भूमि के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी/ वन वन्दोवस्त अधिकारी एवं प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया है। परन्तु 224.902हे० गैर वन भूमि के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी/वन वन्दोवस्त अधिकारी एवं प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। जिसके सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी को सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/उप जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर 224.902हे० गैर वन भूमि का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता है।
4. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा संशोधित कुल 331.475हे० वन भूमि के सापेक्ष प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर के कार्यालय के पत्रांक-3366/मीरजापुर/33-1 दिनांक-08.04.2025 द्वारा, प्रस्तावित कुल 251.665हे० गैर वन भूमि में से 213.612हे० तथा प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के कार्यालय के पत्रांक-3441/कैमूर/33-1 दिनांक-09.04.2025 द्वारा प्रस्तावित 193.727 गैर वन भूमि में से 106.573हे० कुल 320.185हे० गैर वन भूमि VIP शासनादेश के अनुसार उपयुक्त पाये जाने का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार प्रस्तावित कुल 331.475हे० वन भूमि के सापेक्ष उपलब्ध करायी गयी गैर वन भूमि 11.290हे० कम है। 11.290हे० गैर वन भूमि उपलब्ध कराने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी से अनुरोध करने की आवश्यकता है।
5. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा संशोधित कुल 331.475हे० वन भूमि के सापेक्ष उपलब्ध करायी गयी गैर वन भूमि का के०एम०एल०, जियोरिफरेन्सड मानचित्र अपलोड/संलग्न नहीं किया गया है।

A

6. प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के कार्यालय के पत्रांक-3772/33-1 दिनांक-29.04.2025 जो अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ को सम्बोधित एवं प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा महोदय को पृष्ठांकित है, के साथ शासनादेश पत्रांक-VIP-23/14-2-2019-190-जी/2018 दिनांक-28.06.2019 के क्रम में 106.573हे० गैर वन भूमि के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी/वन वन्दोवस्त अधिकारी एवं प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया है। परन्तु प्रस्तावित 331.475हे० वन भूमि के सापेक्ष 224.902हे० गैर वन भूमि के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी/वन वन्दोवस्त अधिकारी एवं प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र वांछित है। जिसके सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी को सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/उप जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर 224.902हे० गैर वन भूमि का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता है।
7. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के कार्यालय के पत्रांक-1903/11-सी दिनांक-02.02.2024 द्वारा जारी चेक लिस्ट के अनुसार संशोधित क्षेत्र के सम्बन्ध में समस्त सूचना/अभिलेख संलग्न/अपलोड करने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी से अनुरोध करने की आवश्यकता है।

अतः भारत सरकार का पत्र दिनांक-14.11.2022 व पत्र दिनांक-27.11.2023 द्वारा लगायी गयी आपत्ति के तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के कार्यालय के पत्रांक-1903/11-सी दिनांक-02.02.2024 (छायाप्रति संलग्न है।) द्वारा जारी चेक लिस्ट के अनुसार निम्नलिखित सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी से अनुरोध किये जाने की संस्तुति की जाती है:-

- I. कजरहट(डाला) लाईम स्टोन माईन्स की लीज अवधि वर्ष 1996 में, भलुआ लाईम स्टोन माईन्स की लीज अवधि वर्ष 2002 में समाप्त हो जाने के उपरान्त उक्त कार्यकाल में किये गये खनन कार्य/उल्लंघन से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध/अपलोड कराया जाना है।
- II. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा संशोधित प्रस्ताव से सम्बन्धित कुल 331.475हे० वन भूमि एवं गैर वन भूमि का के०एम०एल०, जियोरेफरेन्सड मानचित्र व अन्य सुसंगत अभिलेख उपलब्ध/ अपलोड कराया जाना है।
- III. मीरजापुर वन प्रभाग में उपलब्ध करायी गयी कुल गैर वन भूमि में से अतिक्रमण क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराकर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्राप्त उपलब्ध/अपलोड कराया जाना है।
- IV. प्रस्तावित कुल 331.475हे० वन भूमि के सापेक्ष उपलब्ध करायी गयी गैर वन भूमि 11.290हे० कम है। 11.290हे० गैर वन भूमि उपलब्ध/अपलोड कराया जाना है।
- V. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा संशोधित कुल 331.475हे० वन भूमि के सापेक्ष उपलब्ध करायी गयी गैर वन भूमि का के०एम०एल०, जियोरेफरेन्सड मानचित्र उपलब्ध/अपलोड कराया जाना है।
- VI. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/उप जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर प्रभावित होने वाले आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष दी जाने वाली गैर वन भूमि का शासनादेश पत्रांक-VIP-23/14-2-2019-190-जी/2018 दिनांक-28.06.2019 के क्रम में प्रस्तावित 331.475हे० वन भूमि के सापेक्ष 224.902हे० गैर वन भूमि के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी/वन वन्दोवस्त अधिकारी एवं प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना है।
- VII. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के कार्यालय के पत्रांक-1903/11-सी दिनांक-02.02.2024 द्वारा जारी चेक लिस्ट के अनुसार संशोधित क्षेत्र के सम्बन्ध में समस्त सूचना/अभिलेख उपलब्ध/अपलोड कराया जाना है।

उक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि उप प्रभागीय वनाधिकारी, चोपन के कार्यालय के पत्रांक-303/चोपन/15 दिनांक-05.05.2025 द्वारा प्रेषित संयुक्त जांच आख्या/रिपोर्ट में वांछित उपरोक्त सूचना/अभिलेख उपलब्ध/अपलोड कराते हुए, भारत सरकार के पत्र संख्या-8-26/ 2021-एफ०सी० दिनांक-14.11.2022 व पत्र दिनांक-27.11.2023 में लगायी गयी आपत्तियों का भली-भाँति अवलोकन करने

A

के उपरान्त समस्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रारूप में सुस्पष्ट बिन्दुवार आपत्ति का निराकरण उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

Observation No	Observation of GOI	Reply

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भबदीय

(अनुराग प्रियदर्शी)

प्रभागीय वनाधिकारी

ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।

संख्या-2411 अ/समदिनांकित।

प्रतिलिपि—मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र कानपुर महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर को उनके पत्र संख्या-3441/मी०/33-1 दिनांक-09.04.2025 व पत्रांक-3772/33-1 दिनांक-29.04.2025 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर को उनके पत्र संख्या-3366/मी०/33-1 दिनांक-08.04.2025 के क्रम में सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित विषयक प्रकरण में आपके वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित भूमि को गैर वन भूमि का उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-VIP 23/14-2-2019-190जी/2018 दिनांक-28.06.2019 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार गैर वन भूमि के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी/वन वन्दोवस्त अधिकारी एवं प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि—प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उन्नाव को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि विषयक प्रकरण में आपके वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित भूमि को गैर वन भूमि के रूप में स्वीकार करने के सम्बन्ध में उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-VIP 23/14-2-2019-190जी/2018 दिनांक-28.06.2019 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार प्रमाण पत्र तथा प्रश्नगत क्षेत्र क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होने अथवा न होने की स्थिति स्पष्ट कराते हुए, आख्या/अभिलेख उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि—उप प्रभागीय वनाधिकारी, चोपन को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुराग प्रियदर्शी)

प्रभागीय वनाधिकारी

ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।

कार्यालय उप प्रभागीय वनाधिकारी, चोपन उप वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।
पत्रांक-303 / चोपन / 15 खनन दिनांक- 05-05-2025.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
ओबरा वन प्रभाग,
ओबरा-सोनभद्र।

विषय:- जनपद-सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में में 0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि०, डाला सोनभद्र द्वारा कजरहट (डाला) लाईम स्टोन माइन्स के अन्तर्गत 294.082 हे० आरक्षित वनभूमि एवं भलुआ लाईम स्टोन माइन्स के अन्तर्गत 50.606 हे० आरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 344.688 हे० आरक्षित वनभूमि पर खनन कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत 10 वर्षों के लीज पर हस्तान्तरित किये जाने एवं बाधक 16534 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/माईन/ 47074 / 2020)

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या-8-26/2021-एफ०सी० दिनांक-14.11.2022, भारत सरकार का पत्र दिनांक-27.11.2023, आपके कार्यालय के पत्रांक-1606/ओबरा/15 भू०ह० दिनांक-31.01.2025, पत्रांक-2330/ओबरा/15 भू०ह० दिनांक-28.04.2025 तथा में 0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि०, डाला के कार्यालय का पत्र दिनांक-25.04.2025.

महोदय,

आपके उपरोक्त सन्दर्भित द्वारा गठित कमेटी द्वारा विषयक प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या-8-26/2021-एफ०सी० दिनांक-14.11.2022 तथा पत्र दिनांक-27.11.2023 द्वारा लगायी गयी आपत्तियों के निराकरण से सम्बन्धित में 0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि०, डाला के कार्यालय का पत्र दिनांक-25.04.2025 तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के कार्यालय के पत्रांक-1903/11-सी दिनांक-02.02.2024 द्वारा जारी चेक लिस्ट के अनुसार प्रकरण से सम्बन्धित उपलब्ध समस्त अभिलेखों का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त कमेटी का संयुक्त जांच आख्या संलग्न कर महोदय की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अभिषेक कुमार राय)
उप प्रभागीय वनाधिकारी,
चोपन।

संयुक्त जांच अख्या

जनपद-सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में में 0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0, डाला सोनभद्र द्वारा कजरहट (डाला) लाईम स्टोन माइन्स के अन्तर्गत 294.082हे0 आरक्षित वनभूमि एवं भलुआ लाईम स्टोन माइन्स के अन्तर्गत 50.606हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 344.688 हे0 आरक्षित वनभूमि पर खनन कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत 10 वर्षों के लीज पर हस्तान्तरित किये जाने एवं बाधक 16534 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में प्रस्ताव संख्या-एफपी/ यूपी/माईन/47074/2020 आनलाईन आवेदन किया गया है। उक्त प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या-8-26/2021-एफ0सी0 दिनांक-14.11.2022 द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर आपत्ति लगायी गयी तथा भारत सरकार के कार्यालय के पत्र दिनांक-27.11.2023 द्वारा 3 बिन्दुओं पर आपत्ति लगायी गयी। जिसके क्रम में प्रस्तावक विभाग ने अपने पत्र दिनांक-25.04.2025 द्वारा आपत्ति का जबाब आनलाईन परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया गया है। प्रस्तावक विभाग द्वारा अपलोड किये गये आपत्ति के जबाब का परीक्षण करने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, महोदय के कार्यालय के पत्रांक-2330/ओबरा/15 दिनांक-28.04.2025 द्वारा समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या-8-26/2021-एफ0सी0 दिनांक-14.11.2022 तथा पत्र दिनांक-27.11.2023 द्वारा लगायी गयी आपत्ति के क्रम में प्रस्तावक विभाग के पत्र दिनांक-25.04.2025 द्वारा आपत्ति के जबाब के सम्बन्ध में अभिलेखों का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त प्रकाश में आयी कमियां निम्नानुसार है:-

1. भारत सरकार का पत्र दिनांक-14.11.2022 द्वारा लगायी गयी आपत्ति के बिन्दु संख्या 3 के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा कजरहट(डाला) लाईम स्टोन माईन्स की लीज अवधि वर्ष 1996 में, भलुआ लाईम स्टोन माईन्स की लीज अवधि वर्ष 2002 में समाप्त हो जाने के उपरान्त उक्त कार्यकाल में किये गये खनन कार्य/उल्लंघन से सम्बन्धित कोई अभिलेख संलग्न नहीं किया गया है।
2. भारत सरकार का पत्र दिनांक-14.11.2022 द्वारा लगायी गयी आपत्ति के बिन्दु संख्या 7 के क्रम में राजस्व विभाग, वन विभाग एवं प्रस्तावक विभाग के साथ किया गया संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार कजरहट(डाला) लाईम स्टोन माईन्स के अन्तर्गत 404.388हे0 एवं भलुआ लाईम स्टोन माईन्स के अन्तर्गत 62.386हे0 वन भूमि प्रभावित हो रहा है। जिसमें से कुल 92.620हे0 क्षेत्र कजरहट(डाला) लाईम स्टोन माईन्स में कैमूर वन्य जीव प्रभाग के इको सेन्सिटिव जोन से आच्छादित है। उक्त सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग द्वारा कजरहट(डाला) लाईम स्टोन माईन्स में ग्राम कोटा व पड़रछ में प्रभावित होने वाले कुल 331.475हे0 वन भूमि के सम्बन्ध में प्रस्ताव को संशोधित करने का अनुरोध किया गया है, परन्तु प्रस्तावक विभाग द्वारा संशोधित प्रस्ताव से सम्बन्धित वन भूमि एवं गैर वन भूमि का के0एम0एल0, जियोरिफरेन्सड मानचित्र व अन्य सुसंगत अभिलेख अपलोड/संलग्न नहीं किया गया है।
3. भारत सरकार का पत्र दिनांक-14.11.2022 द्वारा लगायी गयी आपत्ति के बिन्दु संख्या 6 के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित गैर वन भूमि के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-VIP 23/14-2-2019-190जी/2018 दिनांक-28.06.2019 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार प्रमाण पत्र तथा प्रश्नगत क्षेत्र का क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र से सम्बन्धित अभिलेख संलग्न नहीं किया गया है, परन्तु प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर के कार्यालय के पत्रांक-3366/मीरजापुर/33-1 दिनांक-08.04.2025 द्वारा, प्रस्तावित कुल 251.665हे0 गैर वन भूमि में से 213.612हे0 तथा प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के कार्यालय के पत्रांक-3441 /कैमूर/33-1 दिनांक-09.04.2025 द्वारा प्रस्तावित 193.727 गैर वन भूमि में से 106.573हे0 कुल 320.185हे0 क्षेत्र VIP शासनादेश के अनुसार उपयुक्त पाये जाने का उल्लेख किया गया है, उक्त पत्र में मीरजापुर वन प्रभाग के अन्तर्गत 213.612हे0 गैर वन भूमि में से 114.192हे0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त तथा 07 हे0 क्षेत्र क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त

परन्तु अतिक्रमण होने का उल्लेख किया गया है, 07 हे० अतिक्रमण क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराकर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी से प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने की आवश्यकता है।

तथा प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के कार्यालय के पत्रांक-3772/33-1 दिनांक-29.04.2025 जो अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ को सम्बोधित एवं प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा महोदय को पृष्ठांकित है, के साथ शासनादेश पत्रांक-VIP-23/14-2-2019-190-जी/2018 दिनांक- 28.06.2019 के क्रम में 106.573हे० गैर वन भूमि के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी/ वन वन्दोवस्त अधिकारी एवं प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया है। परन्तु 224.902हे० गैर वन भूमि के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी/वन वन्दोवस्त अधिकारी एवं प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। जिसके सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी को सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/उप जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर 224.902हे० गैर वन भूमि का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता है।

4. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा संशोधित कुल 331.475हे० वन भूमि के सापेक्ष प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर के कार्यालय के पत्रांक-3366/मीरजापुर/33-1 दिनांक-08.04.2025 द्वारा, प्रस्तावित कुल 251.665हे० गैर वन भूमि में से 213.612हे० तथा प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के कार्यालय के पत्रांक-3441/कैमूर/33-1 दिनांक- 09.04.2025 द्वारा प्रस्तावित 193.727 गैर वन भूमि में से 106.573हे० कुल 320.185हे० गैर वन भूमि VIP शासनादेश के अनुसार उपयुक्त पाये जाने का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार प्रस्तावित कुल 331.475हे० वन भूमि के सापेक्ष उपलब्ध करायी गयी गैर वन भूमि 11.290हे० कम है। 11.290हे० गैर वन भूमि उपलब्ध कराने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी से अनुरोध करने की आवश्यकता है।
5. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा संशोधित कुल 331.475हे० वन भूमि के सापेक्ष उपलब्ध करायी गयी गैर वन भूमि का के०एम०एल०, जियोरिफरेंसड मानचित्र अपलोड/संलग्न नहीं किया गया है।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के कार्यालय के पत्रांक-3772/33-1 दिनांक-29.04.2025 जो अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ को सम्बोधित एवं प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा महोदय को पृष्ठांकित है, के साथ शासनादेश पत्रांक-VIP-23/14-2-2019-190-जी/2018 दिनांक-28.06.2019 के क्रम में 106.573हे० गैर वन भूमि के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी/वन वन्दोवस्त अधिकारी एवं प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया है। परन्तु प्रस्तावित 331.475हे० वन भूमि के सापेक्ष 224.902हे० गैर वन भूमि के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी/वन वन्दोवस्त अधिकारी एवं प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र वांछित है। जिसके सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी को सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/उप जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर 224.902हे० गैर वन भूमि का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता है।
7. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के कार्यालय के पत्रांक-1903/11-सी दिनांक-02.02.2024 द्वारा जारी चेक लिस्ट के अनुसार संशोधित क्षेत्र के सम्बन्ध में समस्त सूचना/अभिलेख संलग्न/अपलोड करने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी से अनुरोध करने की आवश्यकता है।

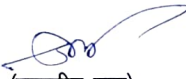
अतः भारत सरकार का पत्र दिनांक-14.11.2022 व पत्र दिनांक-27.11.2023 द्वारा लगायी गयी आपत्ति के तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के कार्यालय के पत्रांक-1903/11-सी दिनांक-02.02.2024 (छायाप्रति संलग्न है।) द्वारा जारी चेक लिस्ट के अनुसार निम्नलिखित सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी से अनुरोध किये जाने की संस्तुति की जाती है:-



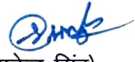
- I. कजरहट(डाला) लाईम स्टोन माईन्स की लीज अवधि वर्ष 1996 में, भलुआ लाईम स्टोन माईन्स की लीज अवधि वर्ष 2002 में समाप्त हो जाने के उपरान्त उक्त कार्यकाल में किये गये खनन कार्य/उल्लंघन से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध/अपलोड कराया जाना है।
- II. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा संशोधित प्रस्ताव से सम्बन्धित कुल 331.475हे0 वन भूमि एवं गैर वन भूमि का के0एम0एल0, जियोरिफरेन्सड मानचित्र व अन्य सुसंगत अभिलेख उपलब्ध/ अपलोड कराया जाना है।
- III. मीरजापुर वन प्रभाग में उपलब्ध करायी गयी कुल गैर वन भूमि में से अतिक्रमित क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराकर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्राप्त उपलब्ध/अपलोड कराया जाना है।
- IV. प्रस्तावित कुल 331.475हे0 वन भूमि के सापेक्ष उपलब्ध करायी गयी गैर वन भूमि 11.290हे0 कम है। 11.290हे0 गैर वन भूमि उपलब्ध/अपलोड कराया जाना है।
- V. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा संशोधित कुल 331.475हे0 वन भूमि के सापेक्ष उपलब्ध करायी गयी गैर वन भूमि का के0एम0एल0, जियोरिफरेन्सड मानचित्र उपलब्ध/अपलोड कराया जाना है।
- VI. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/उप जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर प्रभावित होने वाले आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष दी जाने वाली गैर वन भूमि का शासनादेश पत्रांक-VIP-23/14-2-2019-190-जी/2018 दिनांक-28.06.2019 के क्रम में प्रस्तावित 331.475हे0 वन भूमि के सापेक्ष 224.902हे0 गैर वन भूमि के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी/वन वन्दोवस्त अधिकारी एवं प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना है।
- VII. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय के पत्रांक-1903 /11-सी दिनांक-02.02.2024 द्वारा जारी चेक लिस्ट के अनुसार संशोधित क्षेत्र के सम्बन्ध में समस्त सूचना/अभिलेख उपलब्ध/अपलोड कराया जाना है।

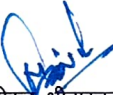
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।


(आलोक कुमार मिश्र)
उप क्षेत्रीय वन अधिकारी/
प्रभारी वन वन्दोवस्त शाखा
ओबरा वन प्रभाग।


(इन्द्रजीत पाल)
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
डाला रेंज।


(अवधेश कुमार सिंह)
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
जुगैल रेंज।


(सतेन्द्र सिंह)
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
कोन रेंज।


(नीरज श्रीवास्तव)
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
ओबरा रेंज।


(मनोक पाण्डेय)
उप प्रभागीय वनाधिकारी,
ओबरा।


(अभिषेक कुमार राय)
उप प्रभागीय वनाधिकारी,
चोपन।

ई-मेल द्वारा

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 1903 /11-सी-गाइडलाइन, लखनऊ: दिनांक: जनवरी 02, 2024

सेवा में,

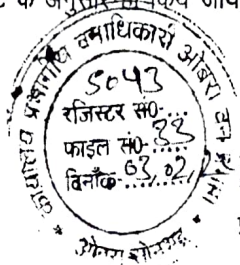
1. समस्त मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव सहित), उ०प्र०।
2. समस्त वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, उ०प्र०।
3. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, उ०प्र०।

विषय:- वनभूमि हस्तांतरण के ऑनलाइन पार्ट-1 एवं पार्ट-2 में लगाये जाने वाले अभिलेखों तथा वृक्षारोपण स्थल से सम्बन्धित संशोधित चेक लिस्ट के अनुसार प्रस्ताव प्रेषित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

वनभूमि हस्तांतरण के ऑनलाइन पार्ट-1 एवं पार्ट-2 में लगाये जाने वाले अभिलेखों एवं वृक्षारोपण स्थल से सम्बन्धित संशोधित चेक लिस्ट इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया संलग्न संशोधित चेक लिस्ट के अनुसार ही प्रयोक्ता एजेंसी ऑनलाइन पार्ट-1 एवं प्रभागीय वनाधिकारी ऑनलाइन पार्ट-2 में अभिलेखों को ऑनलाइन अपलोड करते हुये पूर्ण ऑनलाइन प्रस्ताव प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा वृक्षारोपण स्थल का चयन प्रेषित संशोधित चेक लिस्ट के अनुसार ही किये जाये।

संलग्नक: उपरोक्तनुसार।



भवदीय

(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 1903 /11-सी-गाइडलाइन, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- समस्त प्रयोक्ता एजेंसी को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि कृपया सम्बन्धित वन प्रभागों से समन्वय स्थापित करते हुये संलग्न संशोधित चेक लिस्ट के अनुसार अभिलेखों को ऑनलाइन पार्ट-1 में अपलोड कराते हुये पूर्ण ऑनलाइन प्रस्ताव नियमानुसार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: उपरोक्तनुसार।

(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 1903 /11-सी-गाइडलाइन, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र०, लखनऊ।
3. उप वन महानिदेशक(केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र), केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ०प्र०, लखनऊ।

(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

ऑनलाइन पार्ट-1 में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपलोड किये जाने वाले अभिलेखों की चेक लिस्ट

क्रम सं०	अभिलेख का नाम	प्रस्ताव जिसमें अभिलेख आवश्यक है।	ऑनलाइन अपलोड की स्थिति (✓/X)
1.	प्रस्तावित वनभूमि की के०एम०एल० फाइल	सभी प्रस्तावों हेतु	
2.	परियोजना वनभूमि में प्रस्तावित करने का औचित्य प्रमाण पत्र।	सभी प्रस्तावों हेतु	
3.	प्रस्तावित वनभूमि का Geo Referenced Digital Map	सभी प्रस्तावों हेतु	
4.	लागत लाभ विश्लेषण सम्बन्धित प्रमाण पत्र।	20 हे० से अधिक सभी प्रस्ताव में	
5.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दी जाने वाली गैर वनभूमि का विवरण एवं वचनबद्धता	जहाँ लागू हो	
6.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दी जाने वाली गैर वनभूमि की के०एम०एल० फाइल।	जहाँ लागू हो	
7.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दी जाने वाली गैर वनभूमि का Geo Referenced Digital Map	जहाँ लागू हो	

ऑनलाइन पार्ट-1 के Additional Information Detail में अपलोड किये जाने वाले अभिलेख:-

8.	पावर ऑफ एटोनी/आधारिटी पत्र।	सभी प्रस्तावों हेतु	
9.	प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरण से सम्बन्धित वनभूमि की गणना।	सभी प्रस्तावों हेतु	
10.	परियोजना की स्वीकृति का शासनादेश/आदेश।	सभी प्रस्तावों हेतु	
11.	वन विभाग, उ०प्र० शासन एवं भारत सरकार द्वारा लगाई जाने वाली मानक शर्तें।	सभी प्रस्तावों हेतु	
12.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय वहन से सम्बन्धित वचनबद्धता।	सभी प्रस्तावों हेतु	
13.	प्रस्तावित वनभूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा किये जाने की वचनबद्धता एवं बढ़ी हुई एन०पी०वी० की धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता।	सभी प्रस्तावों हेतु	
14.	भूमि स्वामित्व वाले विभाग (लो०नि०वि०/एन०एच०ए०आई०/रेलवे/सिचाई विभाग) का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	सभी सम्बन्धित प्रस्तावों हेतु	
15.	वन क्षेत्र के गजट नोटिफिकेशन की चिन्हित व प्रमाणित छायाप्रति।	सभी प्रस्तावों हेतु	
16.	वन अधिकार अधिनियम-2006 सम्बन्धी जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र/वचनबद्धता।	सभी प्रस्तावों हेतु	
17.	मलवा उत्सर्जन सम्बन्धित प्रमाण पत्र (भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में)।	सभी प्रस्तावों हेतु	
18.	कार्य प्रारम्भ न किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र।	सभी प्रस्तावों हेतु	
19.	बाघक वृक्षों की दशा में प्रयोक्ता एजेंसी से Entire Tree Transplant (ETT) की शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र।	जहाँ लागू हो	
20.	लो०नि०वि०/एन०एच०ए०आई० द्वारा अनुमोदित ले आउट प्लान।	रिटेल आउटलेट हेतु	
21.	तीन वैकल्पिक रूट्स का जियो रिफरेंस मैप, टोपोग्रीफ एवं तुलनात्मक जस्टीफिकेशन।	नई ट्रांसमिशन लाइन एवं ग्रीन फील्ड की लीनियर परियोजनाओं हेतु	
22.	आरक्षित वनभूमि का सर्किल रेट के आधार पर वनभूमि के मूल्य के बराबर प्रीमियम और प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट वन विभाग के पक्ष में भुगतान की वचनबद्धता।	प्रदेश के सेवा विभाग एवं एन०एच०ए०आई० को छोड़कर	
23.	CA हेतु दी जाने वाली गैर वनभूमि सभी प्रकार के अतिक्रमण एवं अधिभार से मुक्त (Free from all sorts of encumbrances and encroachments) होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र।	जहाँ लागू हो	
24.	प्रस्तावित वनभूमि की के०एम०एल० फाइल के Position को Approved प्लान के अनुसार चेक कर यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रस्तावित वनभूमि की के०एम०एल० फाइल में कोई Position Error नहीं है।	सभी प्रस्तावों हेतु	
25.	Covering Letter	सभी प्रस्तावों हेतु	
26.	अन्य सुसंगत अभिलेख (प्रस्ताव की आवश्यकता अनुसार)।	जहाँ लागू हो	
27.	समस्त अभिलेख अधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित ही अपलोड किये जायें।	सभी प्रस्तावों हेतु	

ऑनलाइन पार्ट-2 में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपलोड किये जाने वाले अभिलेखों की चेक लिस्ट

क्रम सं०	अभिलेख का नाम	प्रस्ताव जिसमें अभिलेख आवश्यक है।	ऑनलाइन अपलोड की स्थिति (✓/X)
1.	Copy of working plan prescription for the forest land proposed for diversion	सभी सम्बन्धित प्रस्तावों हेतु	
2.	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की kml file	सभी सम्बन्धित प्रस्तावों हेतु	
3.	क्षतिपूरक वनीकरण स्थल का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित Geo Referenced Digital Map	सभी सम्बन्धित प्रस्तावों हेतु	
4.	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु स्थल का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित व चिह्नित 1:50000 माप का Sol रंगीन टोपोग्राफी।	सभी सम्बन्धित प्रस्तावों हेतु	
5.	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण-पत्र।	सभी सम्बन्धित प्रस्तावों हेतु	
6.	10 वर्षों का अनुरक्षण सहित क्षतिपूरक वृक्षारोपण का विस्तृत प्राक्कलन।	सभी सम्बन्धित प्रस्तावों हेतु	
7.	प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट एवं संस्तुति।	सभी प्रस्तावों हेतु	

ऑनलाइन पार्ट-2 के Additional Information Detail में अपलोड किये जाने वाले अभिलेख:-

8.	याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र।	सभी प्रस्तावों हेतु	
9.	प्रयोक्ता एजेसी द्वारा आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष दी जाने वाली गैर वनभूमि के सम्बन्ध में शासन के पत्रांक-VIP-23/14-2-2019-190 जी/2018, दिनांक 28.06.2019 के क्रम में उपजिलाधिकारी/वन बंदोबस्त अधिकारी एवं प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र (संलग्न है)।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि के प्रकरणों में।	
10.	पातन होने वाले वृक्षों का व्यासवार वैज्ञानिक नाम सहित सूची एवं सारांश/गोशवारा।	सभी प्रस्तावों हेतु	
11.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का DSS Analysis से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र।	05 हे० से उपर के प्रस्तावों हेतु	
12.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल की के०एम०एल० फाइल के Position को Geo Referenced Digital Map के अनुसार चेक कर यह सुनिश्चित किया जाये कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण की के०एम०एल० फाइल में कोई Position Error नहीं है।	सभी प्रस्तावों हेतु	
13.	प्रस्तावित वनभूमि पर प्रस्तावित पारिषण लाइन के नीचे बौने (मुख्यतः औषधीय) पौधों के वृक्षारोपण का 10 वर्षों तक अनुरक्षण सहित प्राक्कलन।	पारिषण लाइन के प्रस्तावों हेतु	
14.	एन०पी०वी० की गणना।	सभी सम्बन्धित प्रस्तावों हेतु	
15.	परियोजना से 10 किमी० की परिधि/ESZ से सम्बन्धित सेन्चुरी/वन्य जीव विहार होने/न होने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र।	सभी प्रस्तावों हेतु	
16.	अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने एवं आवेदित वनभूमि की माँग न्यूनतम होने संबंधी प्रमाण पत्र।	सभी प्रस्तावों हेतु	
17.	प्रभागीय/वनाधिकारी की संस्तुति (भाग-2 में)।	सभी प्रस्तावों हेतु	
18.	प्रस्ताव की एक सिंगल पी०डी०एफ० फाइल	सभी प्रस्तावों हेतु	
19.	Covering Letter	सभी प्रस्तावों हेतु	
20.	अन्य सुसंगत अभिलेख (प्रस्ताव की आवश्यकता अनुसार)।	जहाँ लागू हो	
21.	समस्त अभिलेख प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित ही अपलोड किये जायें।	सभी प्रस्तावों हेतु	